न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
10 / 2012	13.01.2012	14.03.2022

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र श्योदार ....मृतक
1/1. मनोहर पुत्र रामजीलाल
1/2. महेश कुमार पुत्र रामजीलाल
1/3. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल
1/4. रेशमी पुत्री रामजीलाल
1/5.गीतादेवी पुत्री रामजीलाल
2. रामसिह पुत्र श्योदयाल
3. रामनिवास पुत्र हरजी
4. निकेश पुत्र स्व0 श्रीराम पोत्र हरजी
5. गजेन्द्र पुत्र रामवतार पौत्र जगदीश
6. रघुवीर पुत्र श्योराम जाति अहीर निवासी बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:–वादीगण

बनाम

1. रामकृपाल पुत्र प्यारेलाल
2. राजेन्द्र उर्फ पप्पु पुत्र नेमीचन्द जाति भार्गव
3. पप्पी बेवा अशोक पुत्री गोपीचन्द
4. राकेश पुत्र गोपीचन्द
5. दीपक पुत्र गोपीचन्द
6. मुकेश पुत्र गोपीचन्द
7. कविता पुत्र गोपीचन्द
8. रजनी पुत्री गोपीचन्द निवासी बासकृपाल नगर हाल आबाद स्कीम नम्बर 2 अलवर जिला अलवर राज.
9. तेजवन्ती पत्नि घीसाराम गुर्जर निवासी तरवाला
10. सन्तोष देवी पत्नि इन्द्राज जाति अहीर निवासी बासकृपालनगर
11. हीरालाल पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी राबडका तहसील तिजारा
12. रामसिह पुत्र नथराम जाति अहीर निवासी टहटडा तहसील किशनगढबास
13. सन्तोषदेवी पत्नि विजेन्द्र जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर
14. सिहांराम पुत्र नत्थूराम जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर
15. रतनलाल पुत्र नत्थूराम अहीर जाति जालावास तहसील मुण्डावर
16. सुमिता बेवा बाबूलाल अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर
17. सोनू उर्फ राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर
18. सुमन पुत्री बाबूलाल अहीर
19. पुजा पुत्री बाबूलाल
20. रज्जू पुत्री बाबूलाल
21. छाजूराम पुत्र मनीराम
22. रामजीलाल पुत्र मनीराम
23. हरिराम पुत्र मनीराम जाति अहीर निवासयान जालावास तहसील मुण्डावर
24. शान्ति बेवा उदयराम जाति माली बासकृपालनगर तहसील किशगनढबास जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

25. कृष्ण पुत्र उदयराम जाति माली निवासी बासकृपालनगर
26. श्रीचन्द पुत्र उदयराम जाति माली निवासी बासकृपालनगर
27. प्यारेलाल पुत्र उदयराम जाति माली निवासी बासकृपालनगर
28. कमला पुत्री उदयराम जाति माली निवासी बासकृपालनगर
29. सविता पत्नि राजेन्द्र जाति अहीर निवासी बासकृपालनगर
30. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय किशनगढबास
31. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार लेण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर राजं.

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

....

उपस्थिति :—

1. चन्द्र प्रकाश वकील वादीगण की और से ।
2. लालाराम यादव वकील प्रतिवादीगण सख्या 11 व 12 की और से।
3. प्रतिवादीगण शेष एकपक्षीय कार्यवाही।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:— वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 607 मिन रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 666/2—08 , 667/1—06,658/1—09, 659/1—06 एवं साबिक आराजी खसरा नम्बर 601 मिन रकबा 1 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बरान 723 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा , 724 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा मे से 01 बीघा आराजी खसरा नम्बर साबिक 611 मिन रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 13 बिस्वा , 700/1—05, 701/00—06,704/2—06,706/1—11 एवं साबिक खसरा नम्बर 628 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 716/0—13,717/1—09,718/1—12, 719/1—16, 720/1—01, 721/0—11, 722/3—07, 723/0—09,724/0—08,664/1—17, 665/2—08 सेटिलमेन्ट विभाग ने पैमूद किये है जो आराजीयात वाके ग्राम बासकृपालनगर मे स्थित है।

वादी सख्या 1,2 व 6 तथा वादी सख्या 3,4,5 के बुजुर्गो ने विवादित आराजी खसरा नम्बरान साबिक मिन 607, 601, 611, 628 किता 4 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा प्योरलाल पुत्र श्योनारायण भार्गन साकिन बासकृपालनगर से दिनांक 17.06.58 को खरीद किया , वक्त खरीद से वादीगण का कब्जाकाश्त आराजी से चला आ रहा है वादीगण को प्यारेलाल विकेता के समस्त हक हकूक जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा हस्तानान्तरित हो गये तथा वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्राप्त हो गये। इस प्रकार विवादित आराजी मे मुताबिक सजरा वादी सख्या 1 व 2 का 3/4 हिस्सा व वादी सख्या 3 व 4 मे 1/4 दर 1/2 वो वादी सख्या 5 व 6 का 1/4 मे से 1/2 हिस्सा मुताबिक हिस्सा रजिस्ट्री है वो इसी प्रकार से मौके से काबिज वो दखिल चले आ रहे है।

वादीगण 1,2,6 व वादी सख्या 3,4,5 के बुजुर्ग भोले व अनपढ व्यक्ति थे जिन्हे कानून की जानकारी नही थी जिन्हे रजिस्ट्री कय शुद्वा विवादित आराजी के इन्तकाल बाबत इन्तकाल चढवाने बाबत पता नही था पटवारी हल्का को असल रजिस्ट्री दे दी थी वो हल्का पटवारी ने कहा कि आपके नाम रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज कर दिया है । आराजी खसरा नम्बर 607 मिन रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम बासकृपालनगर जिसके हाल खसरा नम्बर 666/2—08, 667/1—06, 658/1—09, 659/1—06 किता 4 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा रजिस्ट्री द्वारा खरीद आराजी का इन्तकाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

सही चढाया है वो साबिक आराजी खसरा नम्बर 601 मिनरकबा 1 बीघा आराजी का अमल वादीगण के नाम नही किया वो साबिक आराजी खसरा नम्बर 611 मिन के हाल खसरा नम्बर 702 रकबा 0–16 बिस्वा , 703 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा का ही इन्तकाल दर्जराजस्व रिकार्ड मे खातेदारी अमल किया गया। शेष नम्बरो को जानबूझकर आराजी खसरा नम्बर 668/0–.08,669/0–.06,700/1–05,702/0–.06,704/0–06,706/0–05 छोड दिया गया जबकी कानूनन वादीगण आराजी उक्त के खरीददार काश्तकारान है आराजी खसरा नम्बर साबिक 628 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर जो बने है उनके से मात्र 664/1–17,665/2–08 बिस्वा का ही इन्तकाल दर्ज किया है वो शेष खसरा नम्बर 716, 717, 718, 719, 720,721, 722, 723, 724 का जानबूझ कर इन्तकाल दर्ज नही किया जबकी इन्तकाल खरीदशुद्वा आराजी का अक्षरस दर्ज होना चाहिए ।जिनको दर्ज नही किया उनका वादीगण कानूनन हकदार है वादीगण शेष आराजी खसरा नम्बर उपरोक्त को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना हैकि बाद तहकीकात वादवादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे।

अ– घोषित किया जावे कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 601मिन रकबा 1 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 723 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा ,724 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा , 724 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा मे से 1 बीघा वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास को वादी सख्या 1 व 2 , 3/4 के तथा वादी सख्या 5 व 6 1/4 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा व वादी सख्या 3 व 4 का 1/4 दर 1/2 के खातेदार काश्तकार है ।

ब– घोषित किया जावे कि साबिक खसरा नम्बर 611 मिन रकबाब 6 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0–13 बिस्वा , 700 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा , 701 रकबा 6 बिस्वा ,704 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा ,706 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मे से 4 बीघा 16 बिस्वा के वाके ग्राम बासकृपालनगर मे वादी सख्या 1 व 2 का 3/4 हिस्सा के तथा वादी सख्या 5 व 6 का 1/4 मे 1/2 हिस्सा वो वादी सख्या 3 व 4 का 1/4 मे से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है ।

स– घोषित किया जावे कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 628 मिन रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 716/0–13, 717/1–09,718/1–01,,719 /1–16,720/1–01, 721/0–11, 722/3–07, 723/0–09, 724/0–08 मे से रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बासकृपालनगर मे वादी सख्या 1 व 2 का 3/4 हिस्सा वो वादी सख्या 5 व 6 का 1/4 मे से 1/2 हिससा वो वादी सख्या 3 व 4 का 1/4 मे से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है वो इसी प्रकार अमल राजस्व रिकांर्ड किया जावे।

द– दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 11 व 12 के अलावा शेष सभी प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तथा प्रतिवादी सख्या 11 व 12 की और से जबाबदावा पेश कर निवेदन किया गया है आराजी खसरा नम्बर 719, 720, 721, 722 वाके ग्राम बासकृपालनगर मे स्थित है जो पूर्व मे जगदीश प्रसाद , अशोक कुमार पुत्रान के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिसको रजिस्टर्ड बयनामा 6.11.97 मे खरीद किया है व खसरा नम्बर 722 रकबा 4 बीघा रामेश्वरदयाल पुत्र रामसिह से खरीद किया है । वक्त खरीद से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा बोरिंग कर सिचाई हेतु इंजन लगाकर अपनी आराजी की सिचाई करते चले आ रहे है वादीगण का कोई कब्जा नही है तथा हम प्रवितादीग 11 व 12 बोनाफाईड परचेजर है इसलिए वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज किया जावे ।

वकील वादीगण ने साक्ष्य के रूप मे पी.डब्लू 1 महेश कुमार , पी.डब्ल्यू 2 मोहनलाल, पी.डब्ल्यू 3 रामनिवास शपथ पत्र पेश किये। पी.डब्ल्यू 1 दस्तावेजी साक्ष्य के रूप

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

मे बयनामा सत्य प्रति दिनांक 17.06.58 प्रदर्श 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 किता 3, जमाबन्दी सम्वत 2016 किता 3 प्रदर्श 3, , नामान्तकरण सख्या 346 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2029 किता 6 प्रदर्श 5, जमाबन्दी सम्वत 2065–68 किता 12 प्रदर्श 6, जमाबन्दी सम्वत 2064 प्रदर्श 7 पेश किये है जो शामिल मिसल किये गये।

तथा वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य के रूप मे डी.डब्ल्यू 1 रामसिह , डी.डब्ल्यू 2 हीरालाल शपथ पत्र पेश किये। डी.डब्ल्यू 1 दस्तावेजी साक्ष्य के रूप जमाबन्दी सम्वत 2053 प्रदर्श ए 1, क्षेत्रीय तहसीलदार प्रमाण पत्र प्रदर्श ए2, नकल नक्शा ट्रेस ए 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 प्रदर्श ए 4, खसरा गिरदावरी सम्वत 2069–72 प्रदर्श ए 5 पेश किये । जो शामिल वाद है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। तथा उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस पेश पेश की गई। वकील वादीगण ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की। तथा वकील प्रतिवादीगण ने अपने जबाव मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण को खारिज किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जो बयनामा दिनांक 17.06.1958 है जिसमे वरवक्त राजस्व रिकार्ड के खातेदार प्यारेलाल पुत्र श्योनाायण भार्गव साकिन बासकृपालनगर तहसील किशगनढबास द्वारा साबिक आराजी खसरा नम्बर 601 मिन रकबा 1 बीघा, 607 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, 611 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, 628 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशगनढबास का बेचान रामजीलाल, बहादरसिह ,रामसिह पि. श्योदान 3/4 हिस्सा एवं हरली पुत्र गोरधन 1/2 जगदीश ,रधवीर पुत्रान श्योराम बहिस्से बराबर 1/2 हिस्सा दर एकचौथाई कोम अहीर सा. बासकृपालनगर तहसील किशगनढबास को किया । जिसका नामान्तकरण सख्या 346 खरीददारान के पक्ष मे दिनांक 6.03.1986 को संरपच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया। जिसमे नामान्तकरण की पुस्त पर खसरा नम्बरान का विवरण अंकित किया हुआ है। जिसकी जानकारी वादीगण के पिता एवं स्वय वादीगण को वरवक्त नामान्तकरण दर्ज करने थी । बयनामा दिनांक 17.06.1958 को तस्दीक हुआ और नामान्तकरण आराजी 06.03.86 को स्वीकार हुआ जो लगभग बयनामा तस्दीक होने के लगभग 28 वर्ष बाद दर्ज वो स्वीकार हुआ है जिसकी पुस्त पर साबिक हाल खसरा नम्बरान का विवरण भी अंकित किया हुआ है वादीगण को चाहिए था कि वरवक्त नामान्तकरण स्वीकार होने के समय ही आराजी के साबिक हाल खसरा नम्बर के रकबे का मिलान करना चाहिए। और यदि रकबे व खसरा कम दर्ज वो स्वीकार हुआ है तो वरवक्त ही वादीगण को नामान्तकरण अपील सक्षम न्यायालय मे पेश कि जानी चाहिए । वर्तमान मे हाल जमाबन्दीयात मे आराजी विवादित मे अन्य काश्तकारान का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है राजस्व रिकार्ड मे दर्ज काश्तकार किस आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अमल हुए है उनका कोई उल्लेख वाद मे वादीगण द्वारा नही किया गया है जिससे यह साबित हो सकता कि राजस्व रिकार्ड मे जो खातेदार दर्ज हुए है वो किस आधार पर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुए है राजस्व रिकार्ड मे जो खातेदार दर्ज होकर अमल हुए है उनका कोई विवरण न्यायालय के समक्ष नही रखा जाता तब तक न्यायालय किसी काश्तकार के हक व हकूक को कलमजन किये जाने के आदेश पारित नही कर सकता है तथा वाद के जरेकार होने के दौरान प्राप्त मोका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 719 भी वर्तमान मे पडत पडा हुआ है किसी प्रकार के मकान आदी का निर्माण नही है ना ही कोई बोरिंग खसरा नम्बर मे लगा हुआ है जिससे वादीगण कब्जा होने के भी पुख्ता साक्ष्य नही है। वादीगण द्वारा वाद मे आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज पेश नही होने के कारण वाद वादीगण को दस्तावेजी साक्ष्य मे अभाव मे वाद वादीगण को खारिज किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्धान्त भी यही है वाद वादीगण काबिले खारिज करार पाता है ।

अतः आदेश हैः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत आराजी खसरा नम्बर साबिक आराजी खसरा नम्बर 607 मिन रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 666/2–08 , 667/1–06,658/1–09, 659/1–06 एवं साबिक आराजी खसरा नम्बर 601

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

मिन रकबा 1 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बरान 723 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा , 724 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा मे से 01 बीघा आराजी खसरा नम्बर साबिक 611 मिन रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 13 बिस्वा , 700/1–05, 701/00–06,704/2–06,706/1–11 एवं साबिक खसरा नम्बर 628 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 716/0–13,717/1–09,718/1–12, 719/1–16, 720/1–01, 721/0–11, 722/3–07, 723/0–09,724/0–08,664/1–17, 665/2–08 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्ष स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास